रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 690] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 1997/अग्रहायण 19, 1919
No. 690] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 1997/AGRAHAYANA 19, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1997

का.आ. 849(अ).—गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पी. एल. ए.), रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रन्ट (आर. पी. एफ.), रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपक (प्रीपैक), कांगलीपक कम्यूनिस्ट पार्टी (के. सी. पी.) और कांगली यवल कान्बा लुप (के. वाई. के. एल.) को गैर-कानूनी संगठन घोषित करने का पर्याप्त कारण है, एतद्द्वारा एक "गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के. रामामूर्ति होंगे।

[फा. सं. 8/67/97-एन ई-I]
जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1997

S.O. 849(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal", for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the People's Liberation Army(PLA), Revolutionery Peoples' Front (RPF), Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), Kangleipak Communist Party (KCP), and Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) as unlawful associations, consisting of Justice Shri K. Ramamoorthy, Judge of Delhi High Court.

[F. No. 8/67/97-NE.I]
G. K. PILLAI, Jt. Secy.

3133- GI/97 Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997